

राजस्थान - सरकारी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

आदेशिका अधिकारी - मनोज आर.ए.एस

प्रकरण संख्या - 16/24 प्रा.पञ

श्री मांगू 5/0 श्री पन्ना-स्तारील निवासी - नाहरगढ़ तहसील माण्डल

प्राथी

बनाम

1. श्री रतन 5/0 श्री जगदीश पाट निवासी - नाहरगढ़ तहसील माण्डल (सौदागरी)  
(सहायक प्रा.पञ माण्डल)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 21.5.24

::आदेशः

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नाहरगढ़ पटवार हल्गा लिसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 10 कुल कितता 61 रकवा 0-5691 हेक्टर पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.02.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को पंजीबद्धनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नाहरगढ़ पटवार में लिसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 10 कुल कितता 61 रकवा 0-5691 हेक्टर पर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लिसवा में 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षाकरण की गौजुदगी में गोकुल व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

निर्देशिका - तहसीलदार माण्डल को शेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल